न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2019/00089

1. नन्दलाल आत्मज रेवती लाल जाति ब्राह्मण निवासी कापरेन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. अंकित आत्मज नरेन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी कापरेन ।
   1/2. योगेश आत्मज नरेन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी कापरेन ।
   1/3. कृष्णा विधवा नरेन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी कापरेन ।
   1/4. मोना आत्मज नरेन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी कापरेन ।
2. रतन बाई बेवा मूलचन्द जाति ब्राह्मण निवासी कापरेन (मृतक) (नाम तर्क) ।
3. कमला बेवा नाथूलाल जाति ब्राह्मण निवासी कापरेन (मृतक) (नाम तर्क) ।
4. महावीर आत्मज नाथूलाल जाति ब्राह्मण निवासी कापरेन (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   4/1. अनुसूया बेवा महावीर आयु 54 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी कापरेन ।
   4/2. जितेन्द्र पंचोली आयु 33 वर्ष पुत्र श्री महावीर जी जाति ब्राह्मण निवासी कापरेन ।
   4/3. हेमन्त पंचोली उम्र 30 वर्ष पुत्र श्री महावीर जी जाति ब्राह्मण निवासी कापरेन
5. रामावतार आत्मज नाथूलाल जाति ब्राह्मण निवीस कापरेन (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   5/1. दुर्गेश बेवा रामावतार जाति ब्राह्मण निवासी कापरेन ।
   5/2. कुलदीप आत्मज रामावतार जाति ब्राह्मण निवासी कापरेन ।
6. नवदीप आत्मज नाथूलाल जाति ब्राह्मण निवासी कापरेन ।
7. गायत्री पुत्री नाथूलाल जाति ब्राह्मण निवासी कापरेन ।
8. सावित्री देवी पुत्री नाथूलाल जाति ब्राह्मण निवासी कापरेन ।
9. गुड्डी पुत्री नाथूलाल पत्नी राजेन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी कापरेन ।
10. राधा पुत्री नाथूलाल पत्नी गिरिराज जाति ब्राह्मण निवासी कापरेन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. दुला लाल पुत्र श्री कजोड जाति मीणा निवासी ग्राम बलकासा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. रामप्रताप आत्मज दुला लाल जाति मीणा निवासी बलकासा
   1/2. बृजगोपाल आत्मज दुला लाल जाति मीणा निवासी बलकासा
   1/3. मांगी बाई बेवा राधेश्याम आत्मज दुला लाल जाति मीणा निवासी बलकासा ।
   1/4. सुमन पुत्री राधेश्याम आत्मज दुला लाल अवयस्क जरिये माता मांगी बाई विधवा राधेश्याम मीणा निवीस बलकासा ।

2. रामनारायण पुत्र कजोड जाति मीणा निवासी ग्राम बलकासा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/1. पारी बाई पत्नी रामनारायण ।
   2/2. बोट लाल आत्मज रामनारायण ।
   2/3. नाथूलाल आत्मज रामनारायण ।
   2/4. मांगीलाल आत्मज रामनारायण ।
   2/5. रतन आत्मज रामनारायण ।
   2/6. जानकी लाल आत्मज रामनारायण ।
   2/7. रामस्वरूप आत्मज रामनारायण ।
   2/8. प्रकाश आत्मज रामनारायण ।
   2/9. जगनी पुत्री रामनारायण सभी जाति मीणा निवासी ग्राम बलकासा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, के0 पाटन जिला बून्दी ।

––––रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री मदन लाल जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री विनय सक्सेना, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 09.04.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपीलअन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.02.2019 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 01 मृतक दुला लाल ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 92ए एवं 188 तथा धारा 125 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम रामपुरिया तहसील के0 पाटन जिला बून्दी में पुराने खसरा नम्बर 152 रकबा 17 बीघा 14 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 156 रकबा 17 बीघा 14 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी के पिता नन्दा आत्मज मेदा जाति मीणा के खाते की है । वादी के दादा का देहान्त हो गया है उनके एक पुत्र वादी के पिता कजोड थे जिनका भी देहान्त हो चुका है । कजोड जी के दो पुत्र एक वादी तथा दूसरा रामनारायण है जो प्रतिवादी क्रम 11 है । वादग्रस्त आराजी का वादी एवं प्रतिवादी क्रम 11 के मध्य आपस में बंटवारा हो गया है । बंटवारे के अनुसार वे अपनी–अपनी भूमि पर काबिज काश्त हैं । वादी अपनी भूमि पर पिछले 12 से अधिक समय से काबिज काश्त है । वादी उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी खातेदार कृषक बन चुका है । राजस्व विभाग के कर्मचारियों की गलती से वादग्रस्त आराजी मूलचन्द पी0 मु0 रामकिशन व मु0 लाडकंवर बेवा भैरूलाल और धन्ना लाल आत्मज मगन लाल के खाते में दर्ज कर दी गई । सेटलमेंट के समय किया गया इन्द्राज काननून अवैध एवं प्रभावशून्य है क्योंकि

सेटलमेंट विभाग को इस तरह का इन्द्राज करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । वादी को आवश्यक हो गया है कि वह उक्त भूमि का स्वयं को खातेदार घोषित करावे और राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण का नाम विलोपित कर स्वयं का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करावे और प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि ग्राम रामपुरिया तहसील के0 पाटन में स्थित आराजी खसरा नम्बर 156 रकबा 17 बीघा 14 बिस्वा का वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण नाम राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित कर वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार के रूप में दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी को हस्तान्तरित नहीं करें ।

4. प्रतिवादी क्रम 11 में इकबालिया जवाबदावा पेश किया ।

5. प्रतिवादी क्रम 3 लगायत 5 ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर वादी का वादपत्र खारिज करने एवं काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का कथन किया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 19.02.2019 के द्वारा वाद वादी स्वीकार कर डिक्री कर दिया ।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वार पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.02.2019 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 10 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी क्रम 1 की ओर से इकबाली जवाबदावा प्रस्तुत किया गया था एवं प्रतिवादी क्रम 3 लगायत 5 की ओर से जवाबदावा एवं काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया है । अपीलान्टगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर बिना प्रतिवादीगण के कथन का संक्षेप में उल्लेख किये उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है । अधीनस्थ न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार क्या तनकीयात कायम की इसका भी उल्लेख नहीं किया है और बिना तनकीयात सीधे ही निर्णय पारित कर दिया जो सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.02.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के खातेदारी एवं स्वामित्व की है । अधीनस्थ न्यायालय ने इसको रेस्पोडेन्ट के खाते की होना अंकित किया है जो वस्तु स्थिति में विरूद्ध है। रेस्पोडेन्टगण ने कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार की प्रार्थना की थी । प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से इकबाली जवाब प्रस्तुत किया गया था । प्रतिवादी क्रम 3, 4 व 5 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया गया था । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की और जवाबदावा पेश होने के उपरान्त तनकीवार निर्णय पारित किया जाना चाहिए था जो पारित नहीं किया गया है । निर्णय में जवाबदावे के

बारे में कुछ भी अंकित नहीं किया है । अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.02.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई थी वो बहस में भी उपस्थित नहीं हुए थे । सेटलमेंट विभाग ने त्रुटिपूर्ण रूप से आराजी अपीलान्ट के खाते में दर्ज की है । रेस्पोडेन्ट उपकृषक थे और विधिक प्रावधानों के अनुसार वो खातेदार बन चुके हैं । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.02.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण के द्वारा एक दावा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है । इस दावे में प्रतिवादीगण क्रम 3 लगायत 5 के द्वारा जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम दिनांक 03.01.1996 को पेश किया गया है । प्रतिवादीगण क्रम 3 लगायत 5 की ओर से दिनांक 11.05.2000 को एक तरफा कार्यवाही निरस्त करने हेतु एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया है और उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही दिनांक 11.05.2000 को इस शर्त के साथ मन्सूख की गई है कि वो बहस में हिस्सा ले सकते हैं । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 26.05.2000 का दावा वादी खारिज किया गया था और इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 07.08.2004 को प्रकरण इस दिशा–निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि पक्षकारों को साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए निर्णय पारित करें । इसके उपरान्त परीक्षण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । अपीलाधीन निर्णय में तनकीवार विवेचन नहीं किया गया है जबकि प्रतिवादीगण क्रम 3 लगायत 5 के द्वारा जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया गया है । जब प्रतिवादीगण के द्वारा जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया गया है तो ऐसी स्थिति में तनकीयात कायम किया जाना और प्रकरण का तनकीवार निस्तारण किया जाना अनिवार्य है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है वह सीपीसी के आदेश 20 नियम 05 के प्रावधानों के विपरीत होने से खारिज होने योग्य है ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.02.2019 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर तनकीयात का साक्ष्य के आधार पर विश्लेषण करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 17.05.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 09.04.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

9/4/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा